जिलाधिकारी ने दीपावली-छठ महापर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को ले अधिकारियों के साथ की बैठक

बेगूसराय(आससे)। दीपावली एवं छठ महापर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य को ले जिला पदाधिकारी, रिची पांडेय की अध्यक्षता में समाहरणालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मनीष, उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी, अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी, नगर आयुक्त श्री सोमेश बहादुर माथुर, सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी बलिया श्री अजय कुमार यादव सदर अनुमंडलाधिकारी अश्वनी कुमार सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्यों ने आगामी पर्वों के मद्देनजर विभिन्न आवश्यक सुझाव एवं समस्याएं जिला प्रशासन के समक्ष रखीं। सदस्यों ने बताया कि छठ पर्व के दौरान शहरी क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग अपने पैतृक गांव चले जाते हैं, जिससे घरों में चोरी एवं अन्य आपराधिक घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसको देखते हुए शहरी एवं संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने तथा नियमित पुलिस पेट्रोलिंग कराने का अनुरोध किया गया। साथ ही रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर रात्रि के समय पहुंचने वाले प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष पुलिस गश्ती की आवश्यकता बताई गई। जिला पदाधिकारी ने सभी नगर निकायों एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के छठ घाटों का निरीक्षण कर वहां साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग कराने तथा आवागमन के मार्गों को व्यवस्थित रखने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों में नियमित छापेमारी एवं जांच अभियान चलाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया।

जिला पदाधिकारी ने दीपावली पर्व के दौरान आगजनी की घटनाओं की आशंका को देखते हुए अग्निशमन विभाग को पूरी तरह सतर्क एवं अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अग्निशमन वाहनों एवं उपकरणों को कार्यशील स्थिति में रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा, ताकि संभावित अग्निकांड की घटनाओं पर समय रहते नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था, सुरक्षा एवं नागरिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि श्रद्धालु एवं आमजन शांतिपूर्ण वातावरण में दीपावली एवं छठ महापर्व मना सकें।

विधायक ने तीन घाटों पर नाव परिचालन की दिलायी स्वीकृति

खोदावंदपुर (आससे)। चेरियाबरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिषेक आनंद ने खोदावंदपुर प्रखंड में जनहित को ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख घाटों पर नाव परिचालन की स्वीकृति दिलाई है। विधायक की इस पहल से स्थानीय लोगों के साथ-साथ किसानों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। खासकर बूढ़ी गंडक नदी के दोनों किनारों पर स्थित खेतों तक पहुंचने और कृषि कार्यों के लिए इस पार से उस पार आने-जाने में सुविधा होगी। स्थानीय विधायक ने अपने ऐच्छिक कोष से बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के रामघाट एवं बीबी घाट के नजदीक, विदुलिया-पतेलिया घाट तथा मेघौल पंचायत के दास टोला वार्ड संख्या-३ के समीप उत्क्रमित मध्य विद्यालय मेघौल कन्या के सामने स्थित घाट पर नाव परिचालन की स्वीकृति दिलाई है। इन घाटों पर नाव की व्यवस्था होने से नदी पार करने वाले ग्रामीणों, किसानों एवं अन्य लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी।

बीडिओ ने सरकारी भवनों के रंग-रोगन का वीडीओग्राफी कराने का दिया आदेश

छौड़ाही (आससे)। प्रखंड क्षेत्र के मालपुर पंचायत मैं कायाकल्प अभियान के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रिया कुमारी के द्वारा निरीक्षण किया गया। जानकारी देते प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती कुमारी ने बताया कि सामुदायिक भवन का रंग रोगन हो गया है।



आवास योजना का भी निरीक्षण किया गया। विद्यालय एवं पंचायत भवन आंगनबाड़ी केंद्र को रंग रोगन करने को लेकर विभागीय उत्तराधिकारी को निर्देश दिया गया है। दिवाली के पूर्व कायाकल्प योजना के तहत कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। मौके पर पंचायत मुखिया मनीषा देवी पूर्व मुखिया विजय सिंह समेत अन्य समाजसेवी उपस्थित थे।

पूर्व रेलवे

ई-नीलामी सूचना

सं. सीओएम/पीयूबी/पीआरओ/ई-ऑक्शन/2026 **दिनांक: 02.11.2026**

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, पिन-713301 द्वारा अनुबंध प्रदान करने के लिए आईआरईपीएस पोर्टल के जरिए वेबसाइट **www.ireps.gov.in** के माध्यम से खुली ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है। इसका विवरण निम्नानुसार है: **ई-नीलामी कैटलॉग सं.: एसएन-पीएआरसी-171026, नीलामी शुरू होने की तिथि:** 17.11.2026, 12.00 बजे। **नीलामी की कैटेगरी:** पार्सल जगह (एसएलआर) को लीज पर देना। **ट्रेन नं. एवं एसएलआर :** 19436 आसनसोल-अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस, एफएसएलआर-1; सभी प्रत्याशित बोलीदाताओं को उपर्युक्त सूची के अनुसार उक्त ई-नीलामी के संपूर्ण विवरण एवं भाग लेने के लिए वेबसाइट **www.ireps.gov.in** देखने की सलाह दी जाती है। ASN-309/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

बिहार विधान सभा सचिवालय

आवश्यक सूचना

बिहार विधान सभा सचिवालय के विज्ञापन संख्या-03/2024 के अंतर्गत प्रतिवेदन पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 29.06.2025 एवं 30.06.2025 को आयोजित आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं मापदण्डों को पूरा नहीं किये जाने के कारण किसी भी अभ्यर्थी को अगले चरण के लिए योग्य नहीं पाया गया है।

ह./-जय प्रकाश दूबे
अवर सचिव
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

आयुर्वेदिक कॉलेज में स्टाफ नर्स के सम्मान में विदाई समारोह सम्पन्न



बेगूसराय(आससे)। राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय, बेगूसराय में आज महाविद्यालय के अस्पताल के स्टाफ नर्स कुमारी सोनम के स्थानांतरण होने पर उन्हें महाविद्यालय अस्पताल के कर्मियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। उनका स्थानांतरण समस्तीपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में हुआ है। आज के विदाई समारोह में अस्पताल की उपाधीक्षक डॉक्टर दिलीप कुमार वर्मा ने कुमारी सोनम को पुष्प गुच्छ एवं स्मर्शति चिन्ह देखकर विदाई दी। इस अवसर पर अस्पताल के लिपिक मुकेश कुमार सिंन्हा, मेट्रोन अंशु कुमारी, काजल कुमारी, कंचन कुमारी, पुष्पम कुमारी, सोनी कुमारी, डेजी कुमारी, पूजा कुमारी, रेनू सिंन्हा, नीतू कुमारी, रेखा कुमारी, रीभा कुमारी, मांडवी कुमारी, रंभा कुमारी, नेहा कुमारी, समेत कई कर्मचारियोंयों ने कुमारी सोनम को भावभीनी विदाई दी।

आवामी इज्तेमा शुरू,भारी संख्या में अकीदतमंद ले रहे भाग

बरौनी (आससे)। जिले के बरौनी प्रखंड अंतर्गत निंगा पंचायत के लदौरा गांव में बुधवार को पहली बार तीन दिवसीय आवामी दावत-ए-इज्तेमा का भव्य आगाज हुआ। पहले दिन इज्तेमा में हजारों की संख्या में युवा, बच्चे और बुजुर्ग शामिल होने पहुंचे। सुबह से ही आयोजन स्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। बिहार के अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी उलेमा इस धार्मिक आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। वहीं मुंगेर प्रमंडल के सभी छह जिलों सहित बिहार के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अकीदतमंद इज्तेमा में पहुंच रहे हैं। पहले दिन इज्तेमा का शुभारंभ दुआओं के साथ हुआ। इसके बाद उलेमाओं ने इस्लाम से जुड़े विभिन्न धार्मिक विषयों पर तकरीर की और लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक जीवन



से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। इज्तेमा स्थल पर बड़ी संख्या में लोग बैठकर दिन की बातें सुन रहे हैं और धार्मिक नसीहतों के माध्यम से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की सीख ले रहे हैं। उलेमाओं ने लोगों को अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने, अच्छाइयों को अपनाने, नेक रास्ते पर चलने और जरूरतमंदों की मदद करने की नसीहत दी। इज्तेमा में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन की टीम ने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य तैयारियों का जायजा लिया। वहीं आयोजक कमेटी की ओर से बाहर से आने वाले लोगों के ठहरने और खान-पान की व्यवस्था की गई है। सभा स्थल तक पहुंचने के लिए कई मार्ग निर्धारित किए गए हैं तथा प्रत्येक मार्ग पर वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, ताकि दूर-दराज से आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। बुधवार चार नवंबर से शुरू हुआ यह तीन दिवसीय आवामी इज्तेमा शुक्रवार छह नवंबर तक चलेगा। अंतिम दिन शुक्रवार को सुबह दस बजे सामूहिक दुआ के साथ इज्तेमा का समापन होगा।

बिहार विधान सभा सचिवालय

आवश्यक सूचना

बिहार विधान सभा सचिवालय के विज्ञापन संख्या-01/2024 के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 29.01.2024 से 15.02.2024 तथा दिनांक 29.11.2024 से 13.12.2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पुन: ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 07.11.2026 (11:00 बजे पूर्वा.) से आवेदन कर सकते है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.11.2026 है। जो अभ्यर्थी इस पद हेतु पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन करने से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक निर्देश बिहार विधान सभा सचिवालय के वेबसाइट https://vidhansabha.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

ह./-जय प्रकाश दूबे
अवर सचिव
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

वर्गीकृत

शपथ पत्र

मैं निहारिका देवी (NIHARIKA DEVI) पति-नन्द किशोर सिंह निवास-अरक थाना-कृष्णाब्रह्म जिला बक्सर बिहार 802111 शपथ पत्र संख्या-19308 दिनांक 28-10-26 एवं 19476 दिनांक 2-11-26 के द्वारा घोषणा करती हूं कि मेरे पुत्र आनन्द प्रताप सिंह (ANAND PRATAP SINGH) वर्ग-नवम एवं अमूल्य प्रताप सिंह (AMULYA PRATAP SINGH) वर्ग-आठ के स्कूल संत कैरेन्स कालेजियेट स्कूल बिहटा के पंजी में मेरा नाम निहारिका सिंह दर्ज हो गया है जो गलत है मेरी सही नाम निहारिका देवी है। CN.-7792

शपथ पत्र

मैं, अमरनाथ वर्मा, पिता-स्व. बद्री लाल वर्मा, उम्र लगभग 36 वर्ष, वर्तमान एवं स्थायी निवासी वर्मा हाउस, वृंदावन कॉलोनी, गली नं.-8, कृष्णा पथ, (SBI) ट्रांसपोर्टनगर ब्रांच के नजदीक, वार्ड नं. -55, कुम्हरार, थाना-अगमकुआं, पोस्ट ऑफिस-बी.एच. कॉलोनी, पटना, बिहार-800026 है। यह कि मेरे सगा बेटे के जन्म प्रमाण पत्र पर उसका सही नाम Shiv Narayan Verma (शिव नारायण वर्मा) और जन्म तिथि दर्ज है। यह कि गलती और अज्ञानतावश मेरे बेटे के आधारकार्ड पर उसका नाम त्रुटिवश Shree Narayan (श्री नारायण) दर्ज हो गया है। यह कि Shiv Narayan Verma और Shree Narayan दोनों एक ही बच्चे (मेरे बेटे) के नाम हैं और भविष्य में उसे केवल Shiv Narayan Verma (शिव नारायण वर्मा) के नाम से ही जाना और पहचाना जाये। शपथ पत्र सं. 32 ता. 3.11.26

जन्म तिथि परिवर्तन

मैं, रमेश कुमार शर्मा, पुत्र कृपाल मिस्त्री, निवास-भागवती कॉलोनी, पीपरा रोड, परसा बाजार, पो.-परसा, जिला-पटना (बिहार) 804453 शपथ पत्र सं. 19701 ता. 4.11.26 द्वारा यह घोषणा करता हूं कि अभय कुमार मेरा पुत्र है। मेरे पुत्र के स्कूल रिकार्ड में जन्मतिथि 20.5.2011 दर्ज है, जो गलत है। मेरे पुत्र का सही जन्म तिथि 20.5.2013 है, जो उसके आधारकार्ड में दर्ज है।

रसीद सं. 990

नाम परिवर्तन

मैं, जैतून ज्योति, पिता-कौशल आलम, निवास नं.-बी/149, बुद्धा कॉलोनी थाना-बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना (बिहार)-800013 शपथ पत्र सं. 6085 तारीख 13.10.26 द्वारा यह घोषणा करती हूं कि मेरे मैट्रिक सर्टिफिकेट में गलती से मेरा नाम जतिन ज्योति (Jatin Jyoti) हो गया है जबकि मेरे आधारकार्ड में जैतून ज्योति और बांकी सारे सर्टिफिकेट में जैतून ज्योति ही है, जो कि सही एवं सत्य है। अत: मैं ही जैतून ज्योति और जतिन ज्योति हूं। दोनों मेरा ही नाम है तथा जैतून ज्योति के नाम से भविष्य में जानी तथा पहचानी जाऊंगी।

पाठकों से

'आज' में छपे किसी भी विज्ञापन के सम्बन्ध में पाठक स्वत: जांच करके कार्य करें। इसके संबंध में कोई भी दावा 'आज' प्रकाशन पर न होगा।

प्रबंधक

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन को लेकर मिला प्रशिक्षण

भगवानपुर (आससे)। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बाइट भवन भगवानपुर में बुधवार को प्रखंड के प्राइमरी, मिडिल व हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों का बुधवार को प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। परियोजना समन्वयक सुमित कुमार व ब्रजेश भारद्वाज ने बताया कि इसका उद्देश्य सभी विद्यालयों के शिक्षकों और छात्र-छात्राओं को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ा जा सके।

शपथ पत्र

मैं, हसीन अख्तर पिता शेख वाजुल हक, निवासी ग्राम मस्था ताहिर वार्ड नंबर-13 थाना वो अंचल-बैरगनिया, अनुमंडल सीतामढ़ी सदर, जिला सीतामढ़ी का निवासी हूं। मेरा आधार नंबर 9434 1674 4280 है। मेरा नाम आधार कार्ड में हसीन अख्तर एवं मौजा मरपा ताहिर के दस्तावेज नंबर 1110 में मेरा नाम मो0 शमीम अख्तर है मैं दोनों नाम से जाना जाता हूं। हसीन अख्तर एवं मो. शमीम अख्तर दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है जो मैं हूं। मेरे पिता का नाम मो. वाजुल हक एवं शेख वाजुल हक है मेरे पिता दोनों नाम से जाने वो पहचाने जाते है। जो मेरे पिता है। शपथ पत्र संख्या -78690/ 26 है।

शपथ पत्र

मैं, शैरु निशा पति मोहम्मद खुरसैद, ग्राम शंभू नगर, वार्ड नंबर 01, पोस्ट थुम्मा, थाना रुन्नीसैदपुर, जिला सीतामढ़ी की हूं। यह कि मेरे बच्चे का नाम मार्कशीट में अताउल्लाह है जबकि आधार कार्ड में मोहम्मद अताउल्लाह अंकित है जो गलत है। शपथ पत्र संख्या 79497/ 26 है।

Change Name

I, Satyendra Ray S/o Ram Jatan Ray R/o vill.- Darihara Chaturbhuj P.O.-Darihara P.S.-Dariyapur Distt.-Saran (Bihar) vide Affidavit No. 11193 date 2.11.26 My name is per my Aadhar card is Satish Kumar Yadav. That my name as per my Indian Passport is Satyendra Ray. That Now I will be known as Satyendra Ray for all purposes.

शपथ-पत्र

मैं, प्रमिला देवी, पति लाल बाबू राय, ग्राम मोलाहा, पोस्ट अरबिंद नगर, थाना दरियापुर, वार्ड नं.-05, जिला छपरा सारण बिहार-841221 शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मेरी सुपुत्री तान्वी कुमारी है जिसका आधार कार्ड पर नाम सुरभि कुमारी है जो की गलत है। मेरी सुपुत्री का सही नाम सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्र के अनुसार तान्वी कुमारी है। सुरभि कुमारी ओर तान्वी कुमारी दोनों नाम एक ही व्यक्ति (लड़की) से सम्बंधित है जो कि मेरी सुपुत्री है। आज से मेरी पुत्री तान्वी कुमारी के नाम से जानी जाएगी। 17060/2-11-26

रद्दी कागजों से बनी आकर्षक टोकरी



बरौनी (आससे)। उर्दू प्राथमिक विद्यालय पिपरा देवस, बरौनी के शिक्षक रितेश कुमार के द्वारा बच्चों के बीच पुराने अखबारों एवं रद्दी कागजों का उपयोग करते हुए एक आकर्षक और उपयोगी शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार की गई। इसमें अखबार से एक सुंदर गुड़िया बनाई गई और उसके सिर पर एक छोटी-सी टोकरी रखी गई। इस टोकरी में बच्चों के लिए अंग्रेजी की छोटी छोटी वार्ड्स की पर्चियाँ रखी गईं। इस गतिविधि में बच्चों ने उत्साहपूर्वक टोकरी से पर्चियाँ निकालीं, शब्दों को पहचाना, पढ़ा और उनका उच्चारण किया। बच्चों के लिए यह गतिविधि सीखने के साथ-साथ मनोरंजन का भी एक बेहतरीन माध्यम बनी। इस प्रयास की सबसे खास बात रही कबाड़ से जुगाड़श। प्लास्टिक के खिलौनों के बजाय पुराने अखबारों से गुड़िया और टीएलएम तैयार करना न केवल कम खर्चीला और रचनात्मक प्रयास है, बल्कि यह बच्चों को रीयूज- रिड्यूस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। इस प्रयास का सभी लोगों ने सराहना किया।

बाइक की ठोकर से ७५ वर्षीय बुजुर्ग घायल

छौड़ाही (आससे)। दौलतपुर-मालपुर मुख्य पथ पर बुधवार को एक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना राजोपुर गांव के समीप की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे जा रहे बुजुर्ग को जोरदार ठोकर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल बुजुर्ग को उठाया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घायल बुजुर्ग की पहचान ऐजनी पंचायत के राजोपुर गांव निवासी स्व. रामधनी दास के ७५ वर्षीय पुत्र जगदीश दास के रूप में हुई है। घायल बुजुर्ग को आनन-फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छौड़ाही में भर्ती कराया गया। जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डा्. शहबाज अनवर ने प्राथमिक उपचार किया।

आगामी कोहरे से भरे मौसम के दौरान ट्रेनों का निरस्तीकरण

आगामी कोहरे से भरे मौसम से निपटने के लिए, नीचे उल्लेखित ट्रेनें निम्नानुसार निरस्त रहेंगी:-

सम्पूर्ण निरस्तीकरण

13035/13036 हावड़ा-देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस

- **13035 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 01/12, 04/12, 08/12, 11/12, 15/12, 18/12, 22/12, 25/12, 29/12/2026, 01/01, 05/01, 08/01, 12/01, 15/01, 19/01, 22/01, 26/01, 29/01/2027, 02/02, 05/02, 09/02, 12/02, 16/02, 19/02, 23/02 एवं 26/02/2027) निरस्त रहेंगी।
- **13036 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 02/12, 05/12, 09/12, 12/12, 16/12, 19/12, 23/12, 26/12, 30/12/2026, 02/01, 06/01, 09/01, 13/01, 16/01, 20/01, 23/01, 27/01, 30/01/2027, 03/02, 06/02, 10/02, 13/02, 17/02, 20/02, 24/02 एवं 27/02/2027) निरस्त रहेंगी।

फेरे में कटौती

13019/13020 हावड़ा-काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस

- **13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 06/12, 13/12, 20/12, 27/12/2026, 03/01, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01/2027, 07/02, 14/02, 21/02 एवं 28/02/2027) निरस्त रहेंगी।
- **13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 08/12, 15/12, 22/12, 29/12/2026, 05/01, 12/01, 19/01, 26/01/2027, 02/02, 09/02, 16/02, 23/02/2027 एवं 02/03.2027) निरस्त रहेंगी।

12357/12358 कोलकाता-अमृतसर-कोलकाता दुर्गनिया एक्सप्रेस

- **12357 कोलकाता-अमृतसर दुर्गनिया एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 05/12, 12/12, 19/12, 26/12/2026, 02/01, 09/01, 16/01, 23/01, 30/01/2027, 06/02, 13/02, 20/02 एवं 27/02/2027) निरस्त रहेंगी।
- **12358 अमृतसर-कोलकाता दुर्गनिया एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 07/12, 14/12, 21/12, 28/12/2026, 04/01, 11/01, 18/01, 25/01/2027, 01/02, 08/02, 15/02, 22/02/2027 एवं 01/03/2027) निरस्त रहेंगी।

मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक

पूर्व रेलवे

आजादी के पूर्व से हाजीपुर गांव में होती है मां काली की पूजा

बरौनी (आससे)। बरौनी प्रखण्ड मुख्यालय से करीब तीन किलोमीटर दूर हाजीपुर गाँव स्थित सार्वजनिक काली मंदिर में पूजा और मेले की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। एक सदी से अधिक पुरानी काली मंदिर वर्षों से आस्था का केन्द्र बना हुआ है। चारों और कृषि भूमि के बीच बने मंदिर में माँ के दर्शन से दिव्य अनुभूति व आलौकिक शांति मिलती है। धार्मिक परंपरा से जुड़े इस मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए दूर-दराज के गांवों से श्रद्धालु पहुँचते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार आजादी से पूर्व करीब २०-२५ वर्ष पूर्व से खपरैल के मंदिर में पिंडी स्थापित कर दैनिक पूजा शुरू हुई थी। कालांतर में मंदिर निर्माण कर व प्रतिमा स्थापित कर २०१५ ई से पूजा एवं भव्य मेला की परंपरा चली आ रही है।

कामरेड उमेश सिंह की मनी शहादत दिवस

बेगूसराय (आससे)। भाकपा की सदर इकाई के तत्वावधान में राजशाहीपुर इनियार में शहीद कामरेड उमेश सिंह की शहादत दिवस मनायी गयी। अध्यक्षता अंचल मंत्री श्याम बहादुर सिंह ने की। मौके पर भाकपा के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार अंजान ने अपने संबोधन में कहा कि शोषण विहीन समाज का जो सपना कामरेड उमेश सिंह ने देखा था, जिसके लिए उन्होंने अपना शहादत दिया उस अधूरे सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना होगा। अंजान ने आगे कहा कि कल तक जिन्हें हिंदू पर खतरा दिखाई देता था आज उन्हें लोकतंत्र पर खतरा दिखाई देने लगा है। लोकतंत्र पर खतरा किस्से है? वोट चोरी करने वालों से या इस चोरी के खिलाफ लड़ने वालों से ? देश के तमाम



स्वतंत्र संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, आरबीआई, सीबीआई, ईडी, या जनतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को पिंजरे का तोता बनाने वालों से या इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों से सहायक अंचल मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि दिल्ली रैली के बाद से मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसीलिए अब ये सड़क पर उतरने लगे हैं और इन्हें लोकतंत्र पर खतरा दिखाई देने लगा है। सभा को पार्टी के नेता कां इंद्रदेव कुमार, पूर्व मुखिया कामरेड चंद्रशेखर भगत, पूर्व सरपंच कामरेड शंभू राय, मोहम्मद इसराफिल, जयशंकर, प्रमोद यादव, रविंद्र, जयनाथ महतो, रामबहादुर राय, रामबालक तांती भी संबोधित किया।

जिलाधिकारी ने किया पथ निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों के भौतिक सत्यापन को ले जांच टीम गठित

बेगूसराय(आससे)। जिलाधिकारी ने पथ निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों की मरम्मती कराने को ले स्थलीय जांच के लिए जांच टीम का गठन किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के कुल ३२ महत्वपूर्ण पथों के निरीक्षण के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं अभियंताओं की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं, जिनके द्वारा निर्धारित सड़कों का स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण का विशेष उद्देश्य हालिया बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की स्थिति का आकलन कर उनकी आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित करना है। निरीक्षण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर बेगूसराय को बेगूसराय-मंझौल-सागी पथ (एसएच-५५), बेगूसराय-बीरपुर-संजत पथ, हरिचक-संजत पथ एवं मुंगेर घाट-रसीदपुर पथ (भाग-१) की जिम्मेदारी दी गई है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेगूसराय-०१ को एनएच-३१ सिंघौल से बीटीपीएस (उलाव, रचियाही होकर), बेगूसराय-शाम्हो पथ, बेगूसराय आरओबी पथ एवं बेगूसराय कचहरी पथ के निरीक्षण का दायित्व सौंपा गया है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी, बलिया द्वारा एनएच-३१ से कटरमाला (नरजमुनापुर, डंडारी प्रखंड होकर), मल्हीपुर चौक से समस्तीपुर (कमला स्थान) पथ एवं साहेबपुरकमाल-पंचवीर पथ का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा को रजौरा-चांदपुरा पथ, दलसिंहसराय-कैदराबाद-मालती पथ एवं तेघड़ा-मुबारकपुर पथ तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, तेघड़ा को कोल बोर्डर पथ, तेघड़ा बाजार से रेलवे स्टेशन एप्रोच रोड, अजीत पत्रकार पथ, दिनकर द्वार सिमरिया से दिनकर पुस्तकालय पथ, मुंगेर घाट-रसीदपुर पथ (भाग-२), बरौनी रेलवे स्टेशन एप्रोच पथ, राजेंद्र पथ एवं गढ़हरा लिंक पथ के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा बेगूसराय-मंझौल-सागी पथ (एसएच-५५ के शेष भाग), विश्वकर्मा चौक से गौबारी नारायण पीपर छौड़ाही प्रखंड मुख्यालय पथ, दुर्गा हाई स्कूल चौक खोदावंदपुर से गढ़पुरा प्रखंड पथ एवं मंझौल-बखरी पथ का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी, बखरी को अलौली-बहादुरपुर बाईपास पथ, मालीपुर-दौलतपुर पथ, मंझौल-गढ़पुरा पथ, गढ़पुरा-बखरी पथ, खगड़ी-परिहारा-बखरी पथ एवं हसनपुर-गढ़पुरा पथ के निरीक्षण का दायित्व सौंपा गया है। जिला पदाधिकारी श्री रिची पांडेय ने सभी निरीक्षण दलों को निर्देश दिया है कि निर्धारित विभागीय प्रपत्र में पथवार निरीक्षण कर विस्तृत संयुक्त जांच प्रतिवेदन ०६ नवंबर २०२६ तक कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय को उपलब्ध कराएं। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों की प्राथमिकता तय कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

कब्ज़ा नोटिस

जबकि, नीचे साइन करने वाले, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के ऑथराइज़्ड ऑफिसर होने के नाते, सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफ़ोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (54 ऑफ़ 2002) ("कहा गया एक्ट") के तहत टेबल ("आर्सिल") में बताए गए ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफ़ोर्समेंट) रूल्स, 2002 ("कहे गए रूल्स") के रूल 3 के साथ पढ़े गए उक्त एक्ट के सेक्शन 13 (12) के तहत मिली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, एक डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें बॉरोअर(स), गारंटर और मॉर्टगेजर से अमाउंट वापस करने के लिए कहा गया है, जिसकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई हैं:

कर्जदार/गारंटर/मॉर्गेजर ने बताई गई रकम वापस नहीं की है, इसलिए कर्जदार/गारंटर/मॉर्गेजर को खास तौर पर और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे साइन करने वाले ने, उसे दिए गए एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (4) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, नीचे बताई गई तारीख को "जैसा है जहां है और जो कुछ भी है" के आधार पर, नीचे बताई गई अचल प्रॉपर्टी पर फिजिकल कब्ज़ा कर लिया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम और गारंटर और LAN	13(2) नोटिस की तिथि एवं राशि (रु. में)	कब्जे की तिथि और प्रकार
1	कर्जदार: श्री/श्रीमती श्याम कुमार, श्री/श्रीमती अवधेश भगत, श्री/श्रीमती अनीता देवी (HL25MUZ000078279) आर्सिल-ट्रस्ट-2026-013	एचएल/एलएपी सुविधा के संबंध में 22-01-2026 तक रु.1262897/- (केवल बारह लाख बासठ हजार आठ सौ सत्तानवे रुपये), भुगतान/प्राप्ति तक आगे के ब्याज और शुल्कों के साथ, साथ में सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क और व्यय। नोटिस की तारीख: 27.01.2026	02.11.2026 को प्रतीकात्मक कब्ज़ा

प्रॉपर्टी का मालिकाना हक: मौज़े-बेरुआ टोले चोनिरया, थाना-गयाघाट, थाना नंबर-150, खाता नंबर-1093,457, सर्वे नंबर 437/5788,449,448, अंचलगयाघाट, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन-843118, साइट/असलियत के हिसाब से: उत्तर - सिमन / रास्ता, दक्षिण - रास्ता, पूरब - प्रमानंद भगत, पश्चिम - रास्ता थेन एमडी इस्लाम/मकसूद / मकबूल। डीड के हिसाब से: उत्तर - रास्ता कच्ची/क्रेटा, दक्षिण - क्रेता खेवाला/रास्ता, पूरब - हिस्सा फारिक प्रमानंद भगत, पश्चिम-मकबूल और मकसूद

विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि आर्सिल ऊपर वर्णित अचल संपत्ति के वैध कब्जे में है और SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता या कोई भी व्यक्ति, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा सौदा / अलग नहीं करेगा और अचल संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार ऊपर वर्णित राशि के लिए आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा, साथ ही आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि के साथ उपरोक्त राशि पर अनुबंध की दर पर भविष्य का ब्याज भी लगेगा।

उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान उपर्युक्त अचल संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

जगह: बिहार
दिनांक: 02.11.2026

ह/-, प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
(आर्सिल ट्रस्ट के ट्रस्टी - ARCIL-TRUST-2026-013)

Arcil Premier ARC
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड,
CIN - U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट: www.arcil.co.in
रजिस्टर्ड ऑफिस: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम),
प्रीमियर एआरसी मुंबई - 400 028. तेल: +91 2266581300